भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 2400
मंगलवार, 16 मार्च, 2021/25 फाल्गुन, 1942 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

कोविड-19 महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना

2400. श्री के.आर. सुरेश रेड्डीः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को पर्यटन स्थल माना जाता है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों को विकसित करने के लिए क्या पहल की गई हैं?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): कोविड-19 महामारी के पश्चात पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग): पर्यटन गंतव्यों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है तथापि पर्यटन मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यटन गंतव्यों के विकास के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है । राज्य पर्यटन के संवर्धन के लिए परियोजना की संभावना और योजना दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को सम्मिलित कर सकते हैं ।

स्वदेश दर्शन योजना के तहत निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई है:

i. ईको-परिपथ थीम के तहत गांधी सागर बांध – मंडलेश्वर बांध – ओंकारेश्वर बांध – इंदिरा सागर बांध – तवा बांध – बरगी बांध – भेड़ा घाट – बाणसागर बांध और केन नदी का विकास ।
ii. विरासत परिपथ थीम के तहत कुटनी बांध पर पथरिया दुर्ग का विकास ।

*****

अनुबंध

कोविड-19 महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिये जाने के संबंध में दिनांक 16.03.2021 के राज्य सभा लिखित प्रश्न सं. 2400 के भाग (क) के उत्तर में **विवरण**

i. व्यवसाय की निर्बाध बहाली में सहायता के लिए होटल, रेस्तरां, बेड एंड ब्रेकफास्ट/होमस्टे और पर्यटन सेवाप्रदाताओं के लिए कोविड-19 सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी विस्तृत प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और दिनांक 8 जून 2020 को जारी किए गए हैं।

ii. जिन होटल तथा अन्य आवास इकाईयों के परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन तथा वर्गीकरण/ पुनः वर्गीकरण की वैधता अवधि समाप्त हो गई है/अथवा समाप्त होने वाली है उनके अनुमोदन अथवा प्रमाणन की वैधता 30 अप्रैल 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है।

iii. मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान और उसके बाद होटल, रेस्तरां, बेड एंड ब्रेकफास्ट तथा अन्य इकाइयों के सुरक्षित प्रचालन के लिए जारी दिशा निर्देशों/एसओपी के कारगर कार्यान्वयन के लिए एसएएटीएचआई (सिस्टम फॉर एसेसमेंट, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री) नामक पहल की है।

iv. यात्रा एवं आतिथ्य उद्योग के विभिन्न वर्गों के लिए लॉकडाउन संबंधी प्रतिबंधों में ढील के साथ व्यवसाय की सुरक्षित बहाली के लिए प्रचालन संबंधी सिफारिशों जारी की गई हैं और सभी हितधारकों के बीच परिचालित की गई हैं।

v. पर्यटन मंत्रालय द्वारा यात्रा एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों की मान्यता स्वत: छह माह के लिए बढ़ा दी गई है। जिन्होंने मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है उनके संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के पूरा होने तक उन्हें छह माह के लिए अस्थाई रूप से मान्यता प्रदान की गई है।

vi. आतिथ्य उद्योग की इकाइयों सहित अर्थव्यवस्था एवं उद्योग की बहाली के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा उठाए गए उपरोक्त कदमों के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों/भारत सरकार के मंत्रालयों ने अनेक प्रोत्साहन पैकेजो की घोषणा की है जैसे ऋण पर स्थगन अवधि, पीएफ अंशदान में छूट, अक्टूबर 2020 तक टीसीएस का स्थगन, आत्मनिर्भर भारत- पैकेज के अंतर्गत कॉलेटरल फ्री ऑटोमेटिक ऋण।

vii. मंत्रालय ने बाजार विकास सहायता (एमडीए) कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है जिसके अंतर्गत विदेशी बाजारों में पर्यटन के संवर्धन के लिए पर्यटन सेवाप्रदाताओं, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

viii. सरकार ने देश में एम आई सी ई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस) के अंतर्गत एमआईसीई आयोजनों के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनो में संशोधन किया है।

मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप/ पहले की है :

i. देखो अपना देश वेबीनार

ii. लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में प्रमुख शहरों और सांस्कृतिक परिसंपत्तियों (दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, उडुपी, औरंगाबाद, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल) की हवाई फोटोग्राफी।

iii. पर्यटन क्षेत्र को दोबारा खोले जाने से संबंधित मुद्दों पर उद्योग जगत के हितधारकों के साथ नियमित रूप से परामर्श ।

iv. पर्यटको की देखरेख, सुरक्षा एवं संरक्षा प्रोटोकॉल, सेवा मानक आदि ।

v. वेबीनारो, सोशल मीडिया तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से घरेलू पर्यटन संवर्धन अभियान ।

vi. देखो अपना देश अभियान घरेलू पर्यटन का संवर्धन का प्रमुख आधार रहा है । इसका मुख्य लक्ष्य कोविड-19 के बाद के परिदृश्य में यात्रा हेतु सुरक्षित गंतव्य के रूप में भारत के प्रति घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के विश्वास को दोबारा स्थापित करना है ।

*****